न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 243/2020 जिला टोंक

1. मीरा पत्नि गोपाल
2. राजू पुत्र गोपाल
3. कानाराम पुत्र बालू

समस्त जाति बरैवा निवासी काली हरड्या तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

—अपीलांटस

बनाम्

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा ,जिला टोंक

—रेस्पोडेंट

—————————————————

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 03.03.2005 प्रकरण उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा बनाम बालू पुत्र मांगू बेरवा, पत्रावली संख्या 52/2004

उपस्थित अभिभाषकः—श्री जे0के0जैन(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

निर्णय दिनांकः—20.01.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.06.1993 को ग्राम बड़गांव तहसील मालपुरा जिला टोंक में खसरा नम्बर 256/1/1 रकबा 1 बीघा भूमि बालू पुत्र मांगू जाति बेरवा को आवंटित की गई थी। तहसीलदार मालपुरा द्वारा नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 52/2004 दर्ज कर दिनांक 03.03.2005 को तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा बालू पुत्र मांगू बेरवा के पक्ष में किये गये भूमि आवंटन को भूमि को काश्त न करने के आधार पर निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 22.06.2015 को प्रस्तुत की गई थी। जो रेवन्यु ग्रुप—6 के अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के कम में न्यायालय हाजा को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है। पत्रावली को 243/2020 नम्बर पर दर्ज किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम, स्थगन प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी आवंटी बालू के वारिसान को नहीं दी ग[illegible]। [illegible]जस्व कर्मचारियों के द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर एवं अन्य के नाम आवंटन करने की बात कहने के कारण उन्हें जानकारी हुई तथा दिनांक 16.06.2015 को टोंक आकर नकल प्राप्त कर अपील पेश की जा रही है। देरी को क्षमा किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है एवं अन्य को आवंटन करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को अपर क्षति होने की संभावना है। अपील निर्णय तक अप्रार्थी हमको बेदखल न करें एवं भूमि का आवंटन एवं नियमन ना करें।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि बालू को विधिवत्त आवंटन किया गया था। जो बाद में खारिज कर दिया गया। काश्त नहीं करने के आधार पर। धारा 5 का प्रार्थना पत्र हमारी ओर से पेश किया गया। हम बालू के वारिस है।

बहस बिन्दुओ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2005 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक का निर्णय का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय धारा 5 का अवलोकन किया गया। क्योकि अपीलाधीन निर्णय में अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे। अतः उन्हे निर्णय की जानकारी नहीं रही होगी। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है। देरी को क्षमा किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। भूमि वर्तमान में सिवायचक होने से अपीलांटगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अपीलांटगण द्वारा अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा 91 एलआरएक्ट का कोई नोटिस आदि प्रस्तुत नहीं किये है। जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा सिद्ध नहीं होता है। ऐसी अवस्था में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलाधीन प्रकरण में बालू पुत्र मांगू बेरवा की तामील को देखा गया। बालू द्वारा न्यायालय ए0डी0एम द्वारा प्रस्तुत नोटिस की एक प्रति प्राप्त की थी। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर बालू की अंगूठा निशानी अंकित है तथा उसके पोते राजु पुत्र गोपाल बेरवा का नाम अंकित है। इससे यह माना जायेगा कि अपीलाधीन प्रकरण में बालू को विधिवत तामील करवायी गई थी। अपीलाधीन पत्रावली पर प्रस्तुत खसरा गिरदावरी ग्राम बड़गांव के अनुसार संवत 2050 में विवादित भूमि नामातंरण संख्या 306 द्वारा विवादित खसरा नम्बर 256/1/1 बालू पुत्र मांगू बेरवा के नाम गैर खातेदारी स्वीकार की गई थी। खसरा गिरदावरी 2051–60 के अनुसार बालू पुत्र मांगू द्वारा कोई काश्त करना नही पाया गया। अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचन एफ–6(4)राज 6/2001/02/जयपुर दिनांक 28.01.2002 के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के उपनियम (4) के अन्तर्गत ऐसे समस्त व्यक्तियेां का जिन्हे दिनांक 29.09.1999 से पूर्व भूमि आवंटन किया हो का आवंटन निरस्त नहीं किया हो तो वे खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी होगें को शामिल किया गया है। यदि पिछले तीन वर्षो से आवंटित भूमि पर उनके द्वारा काश्त की जा रही हों। मगर गिरदावरी के आधार पर उनके द्वारा यह माना गया कि आवंटन के बाद से संवत 2060 तक आवंटी द्वारा कोई काश्त करना नहीं पाया गया। पत्रावली के अवलोकन से एवं विवेचन से न्यायालय का यह मानना है कि अधिसूचना दिनांक 28.01.2002 के तहत भी आवंटी बालू को कोई लाभ नही प्राप्त हो सकता है। जो भूमि उन्हें काश्त करने हेतु आवंटित की गई थी। उस पर उनके द्वारा कोई काश्त करना नहीं पाया गया है।

बालू का निधन कब हुआ यह अपीलांटगण द्वारा नहीं बताया गया है। अपीलांटगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अपीलाधीन पत्रावली में बालू को दिनांक 21.12.2004 को नोटिस दिया गया था। उसकी तामील भी हुई है। जिसमें उसे दिनांक 14.01.2005 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 14.01.2005

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

को अधीनस्थ न्यायालय प्रोसिडिंग के अनुसार बालू न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा दिनांक 03.03.2005 को निर्णय सुनाया जाकर आवंटन निरस्त सुनाया गया। अपीलांटगण द्वारा बालू की मृत्यु की दिनांक नहीं बताने पर यह नही माना जा सकता है कि एल0आर0 को सुनवाई हेतु अवसर दिया गया या नहीं।

समग्र विवेचन से एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय का यह मानना है कि अपीलाधीन प्रकरण में बालू को विधिवत नोटिस तामील होकर सुनवाई कर निर्णय दिया गया था। अधिसूचना दिनांक 28.01.2002 का पूरी तरह पालना करते हुए समुच्चित आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा विधि अनुसार निर्णय दिया गया था जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 52/2004 निर्णय दिनांक 03.03.2005 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा बनाम बालूं पुत्र मांगू बेरवा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested